



सम्मानित करदाता कृपया ध्यान दें !

माह नवम्बर 2017 का रिटर्न प्रारूप जी.एस.टी.आर.-3बी दाखिल करने की अन्तिम तिथि **20 दिसम्बर 2017** है

माह दिसम्बर 2017 में रिटर्न दाखिल करने की महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्र० सं०	रिटर्न का प्रारूप	माह का नाम	दाखिल करने की अन्तिम तिथि
1.	जी०एस०टी०आर-3बी	नवम्बर 2017	20.12.2017
2.	जी०एस०टी०आर-1 (ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर रु. 1.5 करोड़ से अधिक है)	जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2017	31.12.2017
3.	जी०एस०टी०आर-1 (ऐसे नान कम्पाउंडिंग व्यापारी जिनका टर्नओवर रु. 1.5 करोड़ से कम है)	जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2017	31.12.2017
4.	जी०एस०टी०आर-4 (समाधान योजना के व्यापारियों के लिये)	त्रैमास-जुलाई से सितम्बर 2017	24.12.2017

जिन करदाताओं द्वारा माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर अथवा नवम्बर 2017 में से किसी माह का रिटर्न प्रारूप जी०एस०टी०आर०-3बी दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें माह नवम्बर 2017 के रिटर्न प्रारूप जी०एस०टी०आर०-3बी दाखिल करने से पहले पूर्व के सभी माहों का रिटर्न प्रारूप जी०एस०टी०आर०-3बी दाखिल करना अनिवार्य है।

माह अक्टूबर 2017 एवं आगे के महीनों से सम्बंधित रिटर्न प्रारूप जी०एस०टी०आर-3बी विलम्ब से दाखिल करने पर ऐसे व्यापारी, जिनका रिटर्न के साथ कर जमा कराने का दायित्व भी है, के मामलों में रु० 50/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क तथा जिन व्यापारियों का रिटर्न के साथ कर जमा कराने का दायित्व नहीं है, के मामलों में रु० 20/- प्रतिदिन विलम्ब शुल्क देय है।

यद्यपि माह जुलाई से सितम्बर 2017 तक का रिटर्न दाखिल न करने पर देय विलम्ब शुल्क माफ कर दिया गया है तथापि विलम्ब से दाखिल किये गये रिटर्न और कर के सम्बन्ध में ब्याज जमा करने का दायित्व अभी भी बना हुआ है।

विलम्ब से जमा कराये गये कर पर ब्याज की देयता विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त है।

समय से रिटर्न दाखिल न करने पर कर निर्धारण एवं अर्थदण्ड की कार्यवाही भी संभव है।

रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की जाँच विभाग की प्रवर्तन इकाई द्वारा की जायेगी।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :-



वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश

वेबसाइट
www.comtax.up.nic.in

ई-मेल
cthelplinelu@up.nic.in

@comtaxupgst

@ComtaxU

हेल्पलाइन
0522-3312600, 2721944

कंट्रोल रूम
0522-2721153

टोल-फ्री
18001805223

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश